रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2011/वैशाख 29, 1933
No. 109] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2011/VAISAKHA 29, 1933

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

फा. सं. एफ. 14-369 (98) समन्वय प्रकोष्ठ/स्था. I.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे ।

3. (I) विनियम 8 (1) की तीसरी पंक्ति के पश्चात् शब्द 'साधारणतः' हटा दिया जाएगा । तद्नुसार विनियम 8 (1) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"शासी अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से कभी भी अपनी बैठक आयोजित कर सकता है लेकिन यह बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किए गए समय व स्थान पर तिमाही में एक बार आयोजित होगी ।"

(II) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999 में, एम्स विनियमावली, 1999 के विनियम 4 (2)(ख) में उप-विनियम 2(क) के तत्काल बाद उप-विनियम 2(कक) सन्निविष्ट किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"बैठक की कार्यवाही संस्थान निकाय के सदस्यों को निदेशक द्वारा अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् परिचालित की जाएगी । कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए सदस्यों को 14 दिन का समय दिया जाएगा ।"

(III) विनियम 4 के उप-विनियम 2(क) में "विधिवत अभिपुष्ट" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे :—

"उपस्थित सदस्यों के द्वारा" ।

(IV) विनियम 8 (1) में नया उप-विनियम 8 1(क) सन्निविष्ट किया जाएगा जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"बैठक की कार्यवाही शासी निकाय के सदस्यों को निदेशक द्वारा अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् परिचालित की जाएगी । कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए सदस्यों को 14 दिन का समय दिया जाएगा ।"

(V) विनियम 8 के उप-विनियम (2) में "विधिवत अभिपुष्ट" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे :

"उपस्थित सदस्यों के द्वारा "।

(VI) विनियम 8 (4) का अंतिम वाक्य निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"......... बैठकों की कार्यसूची डाक द्वारा भेजी जाने पर डाक प्रमाण पत्र के तहत अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, तो उसे बैठक की तारीख से कम-से-कम क्रमशः 10 दिन तथा 5 दिन पहले भेजा जाएगा ।"

संस्थान के प्राधिकार द्वारा
डॉ. आर. सी. डेका, निदेशक
[विज्ञापन III/4/151/11/असा.]

टिप्पणी : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मूल विनियमावली वर्ष 1999 में दिनांक 25 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. फा. 14-3/69/99-स्था. I के द्वारा जारी की गई थी और आगे निम्नानुसार संशोधन हुए :

(I) अधिसूचना सं. फा. 14-3/69-स्था. II दिनांक 7 जून, 2003

(II) अधिसूचना सं. फा. 14-3/69/99-स्था. I दिनांक 2 दिसम्बर, 2009

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

F. No. F. 14-369(98) Co-ordination Cell/Estt.I—In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (I)(a) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All India Institute of Medical Sciences, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All India Institute of Medical Sciences, Regulations 1999, namely :—

1. These Regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2011.

2. They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. (I) The words 'ordinarily' after the third line of Regulation 8(1) shall be deleted. Accordingly Regulation 8(1) shall be read as under :—

"The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business but shall meet once in a quarter at such place, and time as may be decided by the Chairman."

(II) In the All India Institute of Medical Sciences Regulation, 1999, in Regulation 4(2) (b) of the AIIMS Regulations, 1999, Sub-Regulation 2 (aa) shall be inserted immediately after Sub-Regulation 2 (a) which shall read as under :—

"The Proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Institute Body by the Director after obtaining the approval of the President. A period of 14 days will be given to the members to confirm the proceedings."

(III) After the words "duly confirmed" in sub Regulation (2)(b) of Regulation 4, the following words shall be inserted :—

"by the members present".

(IV) In Regulation 8(1), new Sub-Regulation 8 1(a) shall be inserted which shall read as under :—

"The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Governing Body, by the Director after obtaining the approval of the Chairman. A period of 14 days will be given to the members to confirm the proceedings."

(V) After the words "duly confirmed" in Sub-Regulation (2) of Regulation 8, the following shall be inserted :—

"by the members present".

(VI) The last sentence of the Regulation 8 (4) shall read as under :—

"..............................The agenda of meetings shall be sent under Certificate of posting if sent by post or electronically at least 10 days and 5 days respectively, before the date of the meeting. "

By the authority of the Institute,
Dr. R. C. DEKA, Director
[ADVT-III/4/151/11/Exty.]

Note :—The Principal Regulations of All India Institute of Medical Sciences was issued in 1999 *vide* notification F. No. 14-3/69/99-Estt. I dated 25th February, 1999 and amended further by :

(I) Notification F.No. 14-3/69-Estt.II dated 7th June, 2003

(II) Notification F. No. 14-3/69/99-Estt. I dated 2nd December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2012/अग्रहायण 8, 1934
No. 259] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2012/AGRAHAYANA 8, 1934

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

सं. 14-3/69(98)/समन्वय प्रकोष्ठ/स्था.-I.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली 1999 में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहा जाएगा।

2. ये विनियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

3. वर्तमान विनियम 4(1) को संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4. संस्थान की बैठकें:- (1) संस्थान के कामकाज को चलाने के लिए, संस्थान अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझें, उतनी बार संस्थान की बैठकें की जा सकती हैं परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य अधिमानतः अक्टूबर माह में संसद के बजट सत्र से पूर्व सभी वित्तीय एवं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी।

4. वर्तमान विनियम 8 (1) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

8. शासी निकाय की बैठक:- (1) शासी निकाय अपने कामकाज को चलाने के लिए अपनी बैठकें, अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझें, आयोजित कर सकती है लेकिन ये बैठकें सामान्यत: वर्ष में कम-से-कम तीन बार अधिमानत: जनवरी, मई तथा सितम्बर में आयोजित की जाएंगी।

5. वर्तमान विनियम 8 का उप-विनियम (6) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

(6) 5 सदस्य कोरम बनाएंगे। अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सदस्य बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं और विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई ऐसी सहभागिता की कोरम के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

6. विनियम 12 में, उप-विनियम (5) के बाद एक नया उप-विनियम (6) निम्नानुसार सम्मिलित किया जाएगा:

सभी स्थायी समितियों हेतु 50% सदस्यों द्वारा कोरम बनाया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सदस्यगण बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी भाग ले सकते हैं और विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई ऐसी सहभागिता की कोरम के उद्देश्य से गणना की जाएंगी। स्थायी चयन समिति के मामले में, दो विशेषज्ञों की भी कोरम का निर्धारण करने हेतु गणना की जाएगी।

7. विनियम 15 के उपरांत एक नया विनियम 15क निम्नानुसार सम्मिलित किया जाएगा:

15 क संकायाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया:- (1) निदेशक के साथ विचार-विमर्श करते हुए वरिष्ठता को विचार में लेते हुए संस्थान द्वारा संकायाध्यक्ष के रूप में एक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

(2) संकायाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों हेतु होगा।

संस्थान के प्राधिकार द्वारा,
डॉ. आर. सी. डेका, निदेशक
[विज्ञापन III/4/151/12/असा.]

टिप्पणी.— अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मूल विनियमावली वर्ष 1999 में दिनांक 25 फरवरी, 1999 की अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/99-स्था.। के द्वारा जारी की गई थी और आगे निम्नानुसार संशोधन हुए:

(I) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69-स्था.II दिनांक 7 जून, 2003
(II) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/99-स्था.। दिनांक 2 दिसम्बर, 2009
(III) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/(98)-स्था.। दिनांक 19 मई, 2011

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2012

No. 14-3/69(98)/Coordination Cell/Estt. I.—In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (I) (a) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All India Institute of Medical Sciences, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All India Institute of Medical Sciences, Regulations 1999, namely:-

1. These Regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2012

2. They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. The existing Regulation 4(1) shall be amended to read as follows:-

   4. **Meetings of the Institute:- (1) The Institute may meet as often as may be considered necessary by the President for the transaction of the business of the Institute but shall meet at least once a year preferably in the month of October to finalize all budgetary and plan proposals before the Budget Session of the Parliament.**

4. The existing Regulation 8(1) shall be amended as follows:-

8. Meeting of the Governing Body :- (1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business, but shall ordinarily meet at least thrice a year preferably in the months of January, May and September.

5. The existing sub regulation (6) of regulation 8 shall be amended as follows:

(6) 5 members shall form the quorum. Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum.

6. In regulation 12, a new sub regulation (6) shall be inserted after sub regulation (5) as follows

50% of the members shall form the quorum for all Standing Committees. Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum. In the case of Standing Selection Committee, the two experts would also be counted for purpose of determining the quorum.

7. A new regulation 15A shall be inserted after Regulation 15 as follows

15 A Procedure for appointment of Dean:- (1) A Professor and Head of the Department would be appointed as Dean by the Institute taking into consideration seniority in consultation with the Director.

(2) The tenure of the Dean would be maximum upto three years.

By the authority of the Institute,
Dr. R. C. DEKA, Director
[ADVT. III/4/151/12/Exty.]

Note.— *The Principal Regulations of All India Institute of Medical Sciences was issued in 1999 vide notification F. No. 14-3/69/99-Estt.I dated 25th February, 1999 and amended further by:*

(I) Notification F .No. 14-3/69-Estt.II dated 7th June, 2003
(II) Notification F. No. 14-3/69/99-Estt.I dated 2nd December, 2009
(III) Notification F .No. 14-3/69(98)-Estt.I dated 19th May, 2011

4436 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.